

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद,जिला भिण्ड, (म0प्र0)

(समक्ष – सतीश कुमार गुप्ता)

विशेष विद्युत प्रकरण क0 208/12संस्थापन दिनांक-13.09.2012

म0प्र0 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, द्वारा
श्री हरीश मेहता कनिष्ठ यंत्री म0प्र0म0क्षे0वि0वि0
कंपनी लिमिटेड मालनपुर, जिला भिण्ड (म0प्र0)

-----परिवादी/परिवादी कंपनी

॥ वि रू द्ध ॥

श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी डैनी गोड़, निवासी
शा0प्रा0वि0 के पास, मालनपुर, जिला भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियुक्त

परिवादी द्वारा श्रीमती ए0के0 श्रीवास्तव अधिवक्ता।

अभियुक्त द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 05/02/18 को घोषित)

01. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 12.07.12 को सुबह 09:00 बजे शा0प्रा0वि0 के पास ग्राम मालनपुर जिला भिण्ड में परिवादी कंपनी के 100 के0वी0एस0 के ट्रांसफार्मर से अवैध रूप से सीधे तार डालकर विद्युत उर्जा की चोरी की, जिससे परिवादी कंपनी को 5936/- रुपये की आर्थिक क्षति कारित हुई।

02. संक्षेप में परिवादी का मामला इस प्रकार है कि परिवादी म0प्र0म0क्षे0वि0वि0 कंपनी लिमिटेड मालनपुर में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ होकर परवाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है। दिनांक 12.07.12 को सुबह 09:00 बजे शासकीय प्राथमिक विद्यालय के पास मालनपुर जिला भिण्ड में जॉच अधिकारी/परिवादी श्री हरीश मेहता जे.ई. द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण लाईन हेल्पर अखिलेश तिवारी, रामराज तोमर, अनिल गर्ग के साथ मौके का निरीक्षण करने पर पाया गया कि अभियुक्त श्रीमती इन्द्रा देवी द्वारा परिवादी कंपनी के 100 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर से पी0वी0सी0

के सफेद दो तार बेईमानीपूर्वक डालकर विद्युत का अनाधिकृत रूप से उपयोग करते पाया, जिसका पंचनामा प्र0पी0-1 तैयार किया गया। अभियुक्त का पंचनामा प्र0पी0-1 पर निशानी अंगूठा लिया गया। तदोपरांत दिनांक 16.07.12 को निर्धारण कर क्षति राशि 4936/- रुपये व समझौता राशि 1000/- रुपये कुल 5936/- रुपये की राशि बावत नोटिस अभियुक्त को दिया गया। तदोपरांत अभियुक्त द्वारा उक्त राशि को अदा नहीं किये जाने पर उसके विरुद्ध परिवाद पत्र दण्डित किये जाने हेतु पेश किया गया है।

03. परिवाद प्रस्तुत करने पर अभियुक्त के द्वारा प्रथम दृष्टया भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत अपराध घटित करना पाये जाने से उक्त धारा के तहत उसके विरुद्ध आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा, उसका अभिवाक् अंकित किया गया। तत्पश्चात् परिवाद के समर्थन में परिवादी की ओर से स्वयं परिवादी/साक्षी हरीश मेहता प0सा0-1 का परीक्षण कराया गया। परिवादी साक्ष्य उपरांत दं.प्र. सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए अपने आपको झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

04. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :

- 01.** क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 12.07.12 को सुबह 09:00 बजे शा0प्रा0वि0 के पास मालनपुर में परिवादी कंपनी के 100 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर से पी0वी0सी0 के दो सफेद तार अवैध रूप से डालकर विद्युत की चोरी की ?
- 02.** क्या अभियुक्त द्वारा उपरोक्तानुसार की गई चोरी से परिवादी कंपनी को 5936/-रुपये की आर्थिक क्षति कारित हुई ?
- 03.** दण्डादेश, यदि कोई हो ?

// साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष //

05. अभिलेखगत साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये विवेचन में तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिये उक्त परस्पर संबंधित सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

06. जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्नों का संबंध है, परिवादी साक्षी हरीश मेहता जे.ई. प0सा01 का अपने मुख्य परीक्षण में कहना है कि वह दिनांक 12.07.12 को म0प्र0म0क्षे0वि0वि0 कंपनी मालनपुर में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा अधीनस्थ कर्मचारीगण लाईन हेल्पर अनिल गर्ग, रामराज सिंह व अखिलेश के साथ सुबह लगभग 9 बजे शासकीय प्राथमिक विद्यालय के पास ग्राम मालनपुर में निरीक्षण करने पर अभियुक्त श्रीमती इंद्रा देवी पत्नी देवी गोड़ को

अप्राधिकृत रूप से घरेलू विद्युत का उपयोग करते हुये पाये जाने पर मौके पर पंचनामा प्र0पी0-1 बनाया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं पंचनामा पर विद्युत उपयोगकर्ता का निशानी अंगूठा लगवाया गया था तथा मौके से पी0वी0सी0 सफेद रंग के 20 मीटर तार जप्त किये गये थे। तत्पश्चात् उपभोक्ता को अवैध उपयोग का विद्युत बिल दिनांक 16.07.12 को राशि 4936+1000 कुल 5936/- रुपये का समझौता शुल्क जारी किया गया, जो प्र0पी0-2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

07. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि निरीक्षण के लिये कार्यालय से सुबह करीब साढ़े आठ बजे निकले थे। उसे याद नहीं है कि उक्त दिनांक को कितनी जगह चैकिंग की थी। उसे जानकारी नहीं है कि उक्त मकान किसके नाम था एवं वह नहीं बता सकता कि उक्त परिसर में कितने सदस्य रहते थे। उसे याद नहीं है कि उक्त परिसर में कितने कमरे थे। यह सही है कि मकान के आसपास बस्ती बसी हुई है। मौके पर तीन-चार लोग आ गये थे जिनके नाम वह नहीं बता सकता और उन्होंने पड़ोसी होने के कारण हस्ताक्षर नहीं किये थे। मकान से पोल की दूरी लगभग 50 मीटर है। प्रकरण में विद्युत उपयोग वाले उपकरण जप्त नहीं किये गये। यह सही है कि प्र0पी0-1 पर किसी भी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह सही है कि पंचनामा पर जो भी साक्षी है वह सभी उसके अधीनस्थ कर्मचारी थे। यह सही है कि पीवीसी सफेद रंग का तार बाजार में आसानी से उपलब्ध रहता है। यह बात सही है कि अंतिम निर्धारण पर इंद्रादेवी के प्राप्ति हस्ताक्षर नहीं हैं।

08. इस प्रकार विचारणीय प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्तानुसार अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि परिवादी जे0ई0 हरीश मेहता प0सा0-1 ने अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण लाईन हेल्पर अनिल गर्ग, रामराज सिंह व अखिलेश के साथ किये गये निरीक्षण के दौरान अभियुक्त श्रीमती इंद्रा द्वारा परिवादी कंपनी के पोल पर करीब 50 मीटर लंबाई के तार को डालकर विद्युत की चोरी करना बताया गया है, लेकिन जहां एक ओर अपने उक्त कथनों के समर्थन में परिवादी पक्ष की ओर से हमराह एक भी लाईन हेल्पर को परीक्षित नहीं कराया गया है, वहीं दूसरी ओर जप्तशुदा 20 मीटर तार को साक्ष्य के दौरान प्रदर्शित भी नहीं कराया गया है।

09. इसी प्रकार परिवादी हरीश मेहता प0सा0-1 ने अपने न्यायालयीन कथनों में उपभोक्ता अभियुक्त श्रीमती इंद्रा को अंतिम निर्धारण भुगतान किये जाने संबंधी प्र0पी0-2 का नोटिस जारी करना बताया है, लेकिन प्रकरण के साथ संलग्न नोटिस प्र0पी0-2 के अवलोकन से पाया जाता है कि उस पर उपभोक्ता अभियुक्त श्रीमती इंद्रा देवी के कोई हस्ताक्षर नहीं है और उक्त संबंध में स्वयं परिवादी हरीश मेहता प0सा0-1 द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वीकारोक्ति भी की गई है तथा उक्त नोटिस पर तामील कराने वाले किसी कर्मचारी द्वारा इस आशय की कोई टीप भी अंकित नहीं की गई है कि उक्त

नोटिस उपभोक्ता अभियुक्त श्रीमती इंद्रा देवी पर तामील कराया गया है और ऐसा स्वयं परिवादी हरीश मेहता प०सा०-1 का कहना नहीं है, बल्कि उक्त साक्षी ने अपने कथनों में सिर्फ प्र०पी०-2 का नोटिस भर भेजना बताया है तथा यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि प्रश्नगत विद्युत चोरी के परिणामस्वरूप क्षति व समझौता शुल्क राशि का निर्धारण 5936/- रुपये किस आधार पर किया गया है और उक्त संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण भी अभिलेख पर पेश नहीं किये गये हैं। अतः उक्त संबंध में परिवादी पक्ष के विपरीत उपधारणा होती है।

10. परिवादी हरीश मेहता प०सा०-1 ने अपने कथनों में मौके पर से 20 मीटर तार को जप्त करना बताया है, जबकि उक्त साक्षी का अपने कथनों में कहना है कि उपभोक्ता अभियुक्त श्रीमती इंद्रा के मकान से डले तार वाले परिवादी कंपनी के पोल की दूरी 50 मीटर थी। इसी प्रकार मौके का पंचनामा प्र०पी०-1 के अवलोकन से भी पाया जाता है कि उसमें चरण क्रमांक 9 में अधिगृहण के ब्योरे में 20 मीटर तार को जप्त होने के संबंध में उल्लेख किया गया है तथा चरण क्रमांक 8 में निरीक्षण के दौरान पाये गये संप्रेक्षण में अभियुक्त के मकान से 100 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर पर करीब 50 मीटर के दो तार डले होकर घरेलू विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग पाया जाना बताया है और यह भी परिवादी हरीश मेहता प०सा०-1 ने अपने कथनों में स्पष्ट नहीं किया है कि जब मौके पर 50 मीटर के दो तार डालकर विद्युत की चोरी की जा रही थी, तब मौका पर से मात्र 20 मीटर लंबाई के दो तार को क्यों जप्त किया गया है, बल्कि कथनों में परिवादी जे०ई० हरीश मेहता प०सा०-1 ने केवल 20 मीटर तार को मौके पर से जप्त होना बताया है। इस प्रकार परिवादी जे०ई० हरीश मेहता प०सा०-1 के उक्त कथन परस्पर विरोधाभासी होना पाये जाते हैं और परिवादी जे०ई० हरीश मेहता प०सा०-1 के कथनों की पुष्टि प्र०पी०-1 के पंचनामा से भली भांति होना नहीं पाई जाती है, बल्कि प्र०पी०-1 के पंचनामे में विरोधाभासी तथ्यों का उल्लेख होना पाया जाता है।

11. महत्वपूर्ण दस्तावेज पंचनामा प्र०पी०-1 के अवलोकन से पाया जाता है कि उसमें परिवादी जे०ई० हरीश मेहता प०सा०-1 द्वारा हमराह अधीनस्थ कर्मचारीगण लाईन हेल्पर अखिलेश, रामराज व अनिल के हस्ताक्षर उक्त पंचनामा पर कराये गये हैं तथा किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं, जबकि उक्त परिवादी का कहना है कि प्रश्नगत निरीक्षण व मौके पर पंचनामा की कार्यवाही के समय आसपास बस्ती के तीन चार लोग आ गये थे। यद्यपि उक्त साक्षी का अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान कहना है कि मौके पर उपस्थित बस्ती के व्यक्तियों ने हस्ताक्षर नहीं किये थे, लेकिन इस बात का उल्लेख न तो परिवाद पत्र में किया गया है और न ही प्र०पी०-1 के महत्वपूर्ण पंचनामा में उल्लेख किया गया है। अतएव परिवादी हरीश मेहता प०सा०-1 के कथन विश्वासप्रद नहीं पाये जाते हैं कि मौके पर उपस्थित साक्षीगण द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया गया था, बल्कि उक्त विवेचन के प्रकाश में यह दर्शित है कि परिवादी हरीश मेहता प०सा०-1 द्वारा मौके पर जिस प्रकार से कार्यवाही की जा रही थी उस कार्यवाही को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था।

12. परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर विचारणीय प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर प्रकट सारवान एवं महत्वपूर्ण विरोधाभाष, विलोपन एवं विसंगतियों को दृष्टिगत रखते हुये परिवादी हरीश मेहता प0सा0-1 के उक्त कथन विश्वासप्रद स्वरूप के होना नहीं पाये जाने से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त श्रीमती इंद्रा ने दिनांक 12.07.12 को सुबह 09:00 बजे शा0प्रा0वि0 के पास ग्राम मालनपुर जिला भिण्ड में परिवादी कंपनी के 100 के0व्ही0एस0 के ट्रांसफार्मर से अवैध रूप से सीधे तार डालकर विद्युत उर्जा की चोरी की, जिससे परिवादी कंपनी को 5936/- रुपये की आर्थिक क्षति कारित हुई। तदनुसार अभियुक्त इंद्रा देवी को भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
13. प्रकरण में जप्तशुदा सामग्री अपील अवधि पश्चात् अपील नहीं होने की दशा में नष्ट हो। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा की जावे।
14. अभियुक्त का धारा 428 द.प्र.सं के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र प्रकरण के साथ तैयार कर संलग्न किया जावे।
15. अभियुक्त जमानत पर है, अतः उसके जमानत मुचलके भारमुक्त हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003
गोहद, जिला भिण्ड

(सतीश कुमार गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003
गोहद, जिला भिण्ड